न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः-(मांगी लाल) RAS
वादपत्र अन्तर्गत धाराः- 88, 53 आर.टी.ए.
प्रकरण संख्याः- 493/2025

गोपालराम पुत्र श्री आशाराम जाति मेघवाल निवासी भोमपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़
-:वादी

बनाम्

1 आशाराम पुत्र श्री चतरा राम जाति मेघवाल निवासी भोमपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़
2 बृजलाल पुत्र श्री आशाराम जाति मेघवाल निवासी भोमपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़
3 शिशपाल पुत्र श्री आशाराम जाति मेघवाल निवासी भोमपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़
4 कमला पुत्री आशाराम पत्नि जालुराम जाति मेघवाल निवासी मोहनमगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
5 धर्मदेवी पुत्री श्री आशाराम पत्नी बीरवलराम जाति मेघवाल निवासी मोहनमगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
6 सुन्दरदेवी पुत्री श्री आशाराम पत्नी धर्मपाल जाति मेघवाल निवासी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ (राज0)
7 सरस्वती देवी पुत्री श्री आशाराम पत्नी श्री भानीराम जाति मेघवाल निवासी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ (राज0)
8 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़।

-:प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री रामकुमार कस्वां - अधिवक्ता वादी
2. श्री मदन मूण्ड - अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 7
3. राज पैरोकार - प्रतिवादी सं. 8

-:निर्णयः-

दिनांक 31.10.2025

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि यह कि वादी व प्रतिवादीगण का प्रमाणित व पंजीकृत पता वाद पत्र के शीर्षक में दर्ज अनुसार सही है।

यह कि तहसील हनुमानगढ के चक 2 ए.एम जमाबंदी सम्वत् 2075-78 के खाता संख्या 2/2 के पत्थर नं0 182/391 (28) किला नं0 3 से 8, 13 से 18, पत्थर नं0 183/391 (27) किला नं0 1/1/.228, 1/2/.025, 2/1/.228, 2/2/.025, 3/1/.228, 3/2/.025, 8 से 12, 19, 20 कुल 5.566 हैक्टयर भूमि मय गैर मुमकिन प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी सलंग्न वाद-पत्र है।

यह कि वाद-पत्र की चरण संख्या 2 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की स्वयंपैदाकर्दा सम्पति न होकर प्रतिवादी संख्या 1 को उनके पिता अर्थात वादी के दादा श्री चतरा राम से प्राप्त विरास्तन सम्पति है। वादी व प्रतिवादीगण का संयुक्त हिन्दु परिवार है व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि विरास्तन भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिस्सा जन्म से बहिस्सा बराबर का हक व अधिकार है इस प्रकार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 वाद-पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि के बहिस्सा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

बराबर अर्थात प्रत्येक का 1/8-1/8 हिस्सा का हक व अधिकार है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 व 4 से 7 ने उक्त भूमि में मिलने वाला हक विरासतन वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में मौखिक हक त्याग किया हुआ है इस प्रकार वाद-पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि मे वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 बहिस्सा बराबर अर्थात प्रत्येक 1/3-1/3 हिस्सा के हकदार खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करवाने के अधिकारी व दावेदार हैं।

यह कि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने अच्छी मंदी व कीमत के लिहाज से व रास्ता खाला की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अर्सा दराज पूर्व वाद-पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णितानुसार अपने हक हिस्सा की भूमि का घराघरू बंटवारा किया हुआ है व घराघरू बंटवारानुसार ही पक्षकारान काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं लेकिन उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में मुश्तरका दर्ज होने से उक्त आराजी के सींव वट व नहरी पानी के उपयोग व उपभोग बाबत विवाद रहता है जिससे वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 निम्नालिखित घराघरू बंटवारानुसार उक्त भूमि का राजस्व अभिलेख में अलग-अलग खाता व रकम कायम करवाना चाहते हैं जिसका कि वादी अधिकारी व दावेदार है। घराघरू विभाजन निम्न प्रकार है:-

(क) वादी गोपालराम को विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि :-

चक नम्बर	पत्थर नम्बर	मु0नं0	किला नम्बर
2 ए एम	182/391	(28)	14/.203, 15/.2405, 16 से 18
	183/391	(27)	11/.0875, 19, 20 कुल 1.796 हैक्टयर

(ख) प्रतिवादी संख्या 2 बृजलाल को विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि :-

चक नम्बर	पत्थर नम्बर	मु0नं0	किला नम्बर
2 ए एम	183/391	(27)	1/1/.2155, 2/1/.2155, 3/1/.2155, 8 से 10, 11/.1655, 12/.253 कुल 1.824 हैक्टयर

(ग) प्रतिवादी संख्या 3 शिशपाल को विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि :-

चक नम्बर	पत्थर नम्बर	मु0नं0	किला नम्बर
2 ए एम	182/391	(28)	3, 4, 5/.2405, 6/.2405, 7, 8, 13, 14/.050 कुल 1.796 हैक्टयर

उपरोक्त भूमि के अलावा चक 2 एएम के प0नं0 182/391 (28) किला नं0 5/.0125, 6/.0125, 15/.0125 व प0नं0 183/391 (27) किला नं0 1/1/.0125, 2/1/.0125, 3/1/.0125, 1/2/.025, 2/2/.025, 3/2/.025 कुल .150 हैक्टयर भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की बहिस्सा बराबर मुश्तरका रहेगी।

यह कि वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि वे प्रश्नगत् भूमि का घराघरू विभाजन अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने में सहमति दे देवे तो वे टाल मटोल करते रहे व आखिर गत् सप्ताह मुकाम भोमपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ में स्पष्ट इन्कार हो गये यही बिनाये वाद है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 8 इस भूमि का भू-धारक होने से पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। जिससे उन्हे पक्षकार बनाया गया है।

यह कि वाद-पत्र वादी बाबत इस्तकरारहक व तकसीम खाता का है। प्रश्नगत भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है। अतः यह वाद-पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है, जो 2/- रूपये के न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद वादी प्रस्तुत कर अर्ज है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री किया जावे।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

क) कि घोषणा फरमाई जावे कि तहसील हनुमानगढ के चक 2 ए.एम जमाबंदी सम्वत् 2075-78 के खाता संख्या 2/2 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कुल 5.566 हैक्टयर भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 बहिस्सा बराबर के हकदार खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करवाने के अधिकारी है।

ख) कि वाद-पत्र की चरण संख्या 4 में निम्नानुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि का अलग से खाता व रकम कायम किया जावे व इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जावे।

(क) वादी गोपालराम को विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि :-

चक नम्बर	पत्थर नम्बर	मु0नं0	किला नम्बर
2 ए एम	182/391	(28)	14/.203, 15/.2405, 16 से 18
	183/391	(27)	11/.0875, 19, 20 कुल 1.796 हैक्टयर

(ख) प्रतिवादी संख्या 2 बृजलाल को विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि :-

चक नम्बर	पत्थर नम्बर	मु0नं0	किला नम्बर
2 ए एम	183/391	(27)	1/1/.2155, 2/1/.2155, 3/1/.2155, 8 से 10, 11/.1655, 12/.253 कुल 1.824 हैक्टयर

(ग) प्रतिवादी संख्या 3 शिशपाल को विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि :-

चक नम्बर	पत्थर नम्बर	मु0नं0	किला नम्बर
2 ए एम	182/391	(28)	3, 4, 5/.2405, 6/.2405, 7, 8, 13, 14/.050 कुल 1.796 हैक्टयर

ग) कि वाद-पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कुल भूमि में शेष रही चक 2 ए.एम के प0नं0 182/391 (28) किला नं0 5/.0125, 6/.0125, 15/.0125 व प0नं0 183/391 (27) किला नं0 1/1/.0125, 2/1/.0125, 3/1/.0125, 1/2/.025, 2/2/.025, 3/2/.025 कुल .150 हैक्टयर भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की बहिस्सा बराबर मुश्तरका रहेगी।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी सं 1 ता 7 की ओर से अधिवक्ता मदन मूण्ड उपस्थित। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 ने दावा में राजीनामा पेश कर मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। वाद पत्र कोई विरोध नहीं होने के कारण तनकीयत कायम नहीं की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष ने मुताबिक राजीनामा के दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। उपलब्ध दस्तावेजों व सहमति के आधार पर वाद, वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:क्रियात्मक आदेशः-

अतः वाद वादी निर्णित किया जाता है व मुताबिक राजीनामा के घोषणा की जाती है किः-

(क) वादी गोपालराम को विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि :-

चक नम्बर	पत्थर नम्बर	मु.न.	किला नम्बर
2 ए एम	182/391	(28)	14/.203, 15/.2405, 16 से 18
	183/391	(27)	11/.0875, 19, 20 कुल 1.796 हैक्टयर।

(ख) प्रतिवादी संख्या 2 बृजलाल को विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि :-

चक नम्बर	पत्थर नम्बर	मु.न.	किला नम्बर
2 ए एम	183/391	(27)	1/1/.2155, 2/1/.2155, 3/1/.2155,

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

8 से 10, 11/.1655, 12/.253
कुल 1.824 हैक्टयर।

(ग) प्रतिवादी संख्या 3 शिशपाल को विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि :-

चक नम्बर	पत्थर नम्बर	मु.न.	किला नम्बर
2 ए एम	182/391	(28)	3, 4, 5/.2405, 6/.2405, 7, 8, 13, 14/.050 कुल 1.796 हैक्टयर।

ग) कि वाद-पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कुल भूमि में शेष रही चक 2 ए.एम के प0नं0 182/391 (28) किला नं0 5/.0125, 6/.0125, 15/.0125 व प0नं0 183/391 (27) किला नं0 1/1/.0125, 2/1/.0125, 3/1/.0125, 1/2/.025, 2/2/.025, 3/2/.025 कुल 0.150 हैक्टयर भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की बहिस्सा बराबर शामिल खाता दर्ज रहें। इसी अनुसार घोषणा की जाकर खाता अलग अलग व रकमराज अलग कायमी के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहे।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

नोटः- रकबा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावें।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़